

प्रेषिका,

पियुषिका तिवारी,
ग्राम न्यायाधिकारी, शाहगंज,
जौनपुर।

सेवा में,

श्रीमान् सहायक निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश
जौनपुर।

विषय-

कार ऋण के बावत मांगे गये स्पष्टीकरण के संबन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा कार कय किये जाने के बावत पूर्व में सूचना प्रेषित की गयी थी। कुछ बिन्दुओं के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा दिनांक 16.06.2021 को ई-पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण आहूत किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि वाहन कार संख्या यू0पी0 50 बी0एक्स 3030 ह्यूण्डयी वैन्यू के विक्रय के सम्बन्ध में मेरे पिता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी के नाम एस.बी.आई. बैंक आजमगढ़ में स्थित बचत खाता संख्या 10954988320 में मेरे पिता द्वारा जी.पी.एफ. एकाउन्ट नं0 71067 से रूपया 3,00,000/- स्थायी अग्रिम की धनराशि आहरित की गयी, जो उनके उक्त बचत खाता में दिनांक 7.12.2020 को क्रेडिट हुई है, जैसा कि उनके इस खाते के बैंक स्टेटमेन्ट (संलग्न) से स्पष्ट है। वाहन संख्या यू0पी0 50 बी0एक्स 3030 वैन्यू जो कय किया गया है, उसकी व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

रूपया 9,00,000/- बैंक एस0बी0आई0 आजमगढ़ से लोन प्रपत्र संलग्न है। रूपया 25,000/- बुकिंग हेतु मेरे पिता द्वारा दिया गया जो बैंक स्टेटमेन्ट दिनांक 11.12.2020 से स्पष्ट है, जो उक्त तिथि को डेबिट हुआ है।

रूपया 1,22,000/- की धनराशि मेरे पिता द्वारा दिनांक 17.12.2020 को चेक सं0 733625 दिनांकित 17.12.2020 द्वारा हुण्डई एजेन्सी को भुगतान की गयी है, जो बैंक स्टेटमेन्ट से उक्त तिथि में उक्त खाते से डेबिट होना प्रमाणित है।


इसी तरह रूपया 1,00,000/- की धनराशि मेरे पिता द्वारा क्रेडिट कार्ड सं0 5241827309151185 दिनांकित 17.12.2020 को हुण्डई एजेन्सी के पक्ष में भुगतान किया गया है, जो हुण्डई एजेन्सी की रसीद सं0 4242 दिनांकित 17.12.2020 से प्रमाणित है।

इसी प्रकार कार कय हेतु मेरे द्वारा 9,00,000/- की एस0बी0आई0 मुख्य शाखा आजमगढ़ से लोनिंग हुई है, एवं 2,47,000/- रूपया मेरे पिता द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हुण्डई कम्पनी के द्वारा 539/- रूपये की छूट प्रदान की गयी। इस प्रकार गाड़ी की कुल कीमत 11,47,000/- रूपया है, जो बैंक प्रपत्र से स्पष्ट है। हुण्डई कम्पनी की तरफ से निर्गत रसीद मु0 2,47,000/- एवं बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाण स्वरूप संलग्न किया जा रहा है।

अतः आख्या माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सादर।

दिनांक-30.06.2021

भवदीया,

(पियुषिका तिवारी) 30/06/21
ग्राम न्यायाधिकारी, शाहगंज
जौनपुर।

संलग्नक-

1. छायाप्रति सेल इनवायस
2. छायाप्रति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत खाते का विवरण
3. छाया प्रति वाहन पंजीयन
4. मेरे पिता के खाते से निर्गत धनराशि का विवरण
5. लोन अरेन्जमेन्ट लेटर

प्रेषिका,

पियुषिका तिवारी,
ग्राम न्यायाधिकारी, शाहगंज,
जौनपुर।

सेवा में,

श्रीमान् सहायक निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश
जौनपुर।

विषय-

कार ऋण के बावत मांगे गये स्पष्टीकरण के संबन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा कार कय किये जाने के बावत पूर्व में सूचना प्रेषित की गयी थी। कुछ बिन्दुओं के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा दिनांक 16.06.2021 को ई-पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण आहूत किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि वाहन कार संख्या यू0पी0 50 बी0एक्स 3030 ह्यूण्डयी वेन्यू के विक्रय के सम्बन्ध में मेरे पिता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी के नाम एस.बी.आई. बैंक आजमगढ़ में स्थित बचत खाता संख्या 10954988320 में मेरे पिता द्वारा जी.पी.एफ. एकाउन्ट नं0 71067 से रूपया 3,00,000/- स्थायी अग्रिम की धनराशि आहरित की गयी, जो उनके उक्त बचत खाता में दिनांक 7.12.2020 को क्रेडिट हुई है, जैसा कि उनके इस खाते के बैंक स्टेटमेन्ट (संलग्न) से स्पष्ट है। वाहन संख्या यू0पी0 50 बी0एक्स 3030 वेन्यू जो कय किया गया है, उसकी व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

रूपया 9,00,000/- बैंक एस0बी0आई0 आजमगढ़ से लोन प्रपत्र संलग्न है। रूपया 25,000/- बुकिंग हेतु मेरे पिता द्वारा दिया गया जो बैंक स्टेटमेन्ट दिनांक 11.12.2020 से स्पष्ट है, जो उक्त तिथि को डेबिट हुआ है।

रूपया 1,22,000/- की धनराशि मेरे पिता द्वारा दिनांक 17.12.2020 को चेक सं0 733625 दिनांकित 17.12.2020 द्वारा हुण्डई एजेन्सी को भुगतान की गयी है, जो बैंक स्टेटमेन्ट से उक्त तिथि में उक्त खाते से डेबिट होना प्रमाणित है।

इसी तरह रूपया 1,00,000/- की धनराशि मेरे पिता द्वारा क्रेडिट कार्ड सं0 5241827309151185 दिनांकित 17.12.2020 को हुण्डई एजेन्सी के पक्ष में भुगतान किया गया है, जो हुण्डई एजेन्सी की रसीद सं0 4242 दिनांकित 17.12.2020 से प्रमाणित है।

इसी प्रकार कार कय हेतु मेरे द्वारा 9,00,000/- की एस0बी0आई0 मुख्य शाखा आजमगढ़ से लोनिंग हुई है, एवं 2,47,000/- रूपया मेरे पिता द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हुण्डई कम्पनी के द्वारा 539/- रूपये की छूट प्रदान की गयी। इस प्रकार गाड़ी की कुल कीमत 11,47,000/- रूपया है, जो बैंक प्रपत्र से स्पष्ट है। हुण्डई कम्पनी की तरफ से निर्गत रसीद मु0 2,47,000/- एवं बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाण स्वरूप संलग्न किया जा रहा है।

अतः आख्या माननीय महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सादर।

दिनांक-30.06.2021

भवदीया,

(पियुषिका तिवारी)

ग्राम न्यायाधिकारी, शाहगंज
जौनपुर।

30/06/21

संलग्नक-

1. छायाप्रति सेल इनवायस
2. छायाप्रति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत खाते का विवरण
3. छाया प्रति वाहन पंजीयन
4. मेरे पिता के खाते से निर्गत धनराशि का विवरण
5. लोन अरेन्जमेन्ट लेटर